न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 43 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. टीपू चौधरी, सरपंच ग्राम पंचायत कमठाई पंचायत समिति सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।	बनाम	1.भैराराम पुत्र कोहलाराम 2.छगनाराम पुत्र कोहलाराम 3.तेजाराम पुत्र राणाराम जाति सुथार निवासी महादेवपुरा, कमठाई तहसील सिणधरी 4.ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत कमठाई 5. विकास अधिकारी, सिणधरी 6.रामाराम पुत्र शंकरराम 7.पूनमाराम पुत्र शंकरराम 8.धापूदेवी पत्नी शंकरराम 9.पुखराज गोदपुत्र देवाराम जाति सुथार निवासी महादेवपुरा, कमठाई तहसील सणधरी। 10.शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. शाखा सिणधरी। 11.शाखा प्रबन्धक, आर.एम.जी.बी. शाखा सिणधरी। 12.तहसीलदार सिणधरी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिणधरी के राजस्व आवेदन संख्या 116 / 2016 बअनवान भैरा वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कमठाई वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील अधि... बाड़मेर

उपस्थित

1. वकील श्री विष्णु चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल बी.एल.रामावत रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 12.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 01 रकबा 214.04 बीघा व खसरा संख्या 24 रकबा 75.09 बीघा अवस्थित है जिसमें प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 04 से 07 की रहवासी ढाणी, पानी के टांके आदि बने हुए है जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 04 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

07 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 04 से 07 की खातेदारी भूमि में से विप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा बिना विवादित भूमि को समर्पण करवाये गलत तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के बीचोंबीच सड़क का निर्माण कार्य करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसका विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जबरदस्ती प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 04 से 07 की खातेदारी भूमि में निर्माण कार्य करवाने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। उक्त प्रकरण की जानकारी होने पर जरिये अधिवक्ता जबाव प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ग्रेवल सड़क निर्माण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत समझौता पत्र व प्रस्तावित नक्शे के अनुसार ही निर्माण करवाया जायेगा। परन्तु प्रार्थीगण अब अपने कथनों से मुकर गये है तथा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जनहितार्थ करवाये जा रहे निर्माण कार्य में जानबुझ कर बाधा पैदा कर रहे है तथा अनावश्यक रूप से विलंब कर रहे हैं। जनहितार्थ निर्माण भी नहीं हो पायेगा जिससे आम जनता के हितों पर भारी कुठाराघात होगा। राजस्थान पंचायती राज संस्थान के किसी भी प्रतिनिधि के विरूद्ध वाद दायर करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 109 के तहत दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है जो विधि का एक आज्ञापक नियम है, धारा 109 के नोटिस के अभाव में प्रार्थीगण वाद व आवेदन चलने योग्य नहीं है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ग्रेवल सड़क निर्माण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत समझौता पत्र व प्रस्तावित नक्शे के अनुसार ही निर्माण करवाया जायेगा। परन्तु प्रार्थीगण अब अपने कथनों से मुकर गये है तथा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जनहितार्थ करवाये जा रहे निर्माण कार्य में जानबुझ कर बाधा पैदा कर रहे है तथा अनावश्यक रूप से विलंब कर रहे हैं। जनहितार्थ निर्माण भी नहीं हो पायेगा जिससे आम जनता के हितों पर भारी कुठाराघात होगा। राजस्थान पंचायती राज संस्थान के किसी भी प्रतिनिधि के विरूद्ध वाद दायर करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 109 के तहत दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है जो विधि का एक आज्ञापक नियम है, धारा 109 के नोटिस के अभाव में प्रार्थीगण वाद व आवेदन चलने योग्य नहीं है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा विधि द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अपीलाधीन आलोच्य आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 04 से 07 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 01 में से सरहद मौजा ऐवाड़ी मानजी के सेढ ग्रेवल सड़क निकालने को दी गई थी, परन्तु विप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने सड़क निकालने को दी गई सहमति से हटकर प्रार्थीगण के खेत के बीचो–बीच जहां प्रार्थीगण की काश्त की हुई है, में से खेत को दो भागो में विभाजित कर सड़क बनाने पर उतारू है। विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है एव नायब तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट में आया है कि विप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में सड़क निकालने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि जहां तक पंचायतीराज संस्था को पूर्व नोटिस दिये जाने के प्रावधान की बात है तो यह तथ्य विवादित आराजी बाबत उभयपक्ष की भलीभांति जानकारी में था। उभयपक्ष के बीच कथित करारनामे/सहमति पत्र का उल्लेख इस तथ्य की पुष्टि करता है। इसलिए अपीलांट का इस बाबत उज्र खारिज किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम महादेवपुरा की खेत खसरा संख्या 01 रकबा 214.04 बीघा व खसरा संख्या 24 रकबा 75.09 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 06 से 09 की सहखातेदारी भूमि है। इस भूमि में अपीलांट का कोई हक हिस्सा या अधिकार विधि के अनुसार निहित या सृजित नहीं है। केवल एक लिखित करार अवश्य है जिसको आधार मानकर यह अपील पेश की है। इस करार की विधि की दृष्टि में कोई अहमियत नहीं है। अपीलांट ग्राम पंचायत कमठाई की सरपंच होकर जनप्रतिनिधी की हैसियत में है जो विकास कार्य के रूप में एक संपर्क सड़क मार्ग रेस्पोडेंटस के खेतों में से निकाल ने के लिए कथित करार के आधार पर उद्धत है। करार–पत्र का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 01 रकबा 214.04 बीघा के बीचो–बीच में से सड़क मार्ग निकालने की कोई सहमति नहीं है। खेत की सीमा के सहारे–सहारे सड़क हेतु अर्थवर्क हो चुका है जिसमें रेस्पोडेंट ने कोई आपति नहीं की लेकिन जब सड़क खसरा संख्या 01 के बीचो बीच निकालने का इरादा एवं प्रयास हुआ तब रेस्पोडेंटस प्रार्थीगण के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन अस्थाई व्यादेश है। अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है कि वह रेस्पोडेंटस के खातेदारी खेत के बीचों बीच में से उनकी सहमति के बिना संपर्क सड़क का निर्माण करे। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत, युक्तियुक्त है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 116/2016 बअनवान भैरा वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कमठाई वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

12/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner